न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा.पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/154/2022	2022/234	19.05.2022	19.09.2022

<u>–उनवान–</u>

1. मल्लू पुत्र स्व0 समेसिंह पौत्र नजबू पडपौत्र दानसिंह जाति मेव निवासी ग्राम अहमदपुर तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज0।

–प्रार्थी

<u>बनाम</u>

1. अमरसिंह पुत्र लल्लू जाति जांगिड ब्राह्मण
2. मुकेश पुत्र लल्लू जाति जांगिड ब्राह्मण
3. मिठ्ठनलाल पुत्र लल्लू जाति जांगिड ब्राह्मण
4. सुशीला पत्नी रमेश पुत्रवधू लल्लू जाति जांगिड ब्राह्मण
5. मैना पुत्री रमेश जाति जांगिड ब्राह्मण
6. तारा पुत्री रमेश जाति जांगिड ब्राह्मण
7. निशा पुत्री रमेश जाति जांगिड ब्राह्मण
8. लोकेश पुत्र रमेश जाति जांगिड ब्राह्मण
9. किशनलाल पुत्र जगनलाल जाति जांगिड ब्राह्मण
10. सुरेश पुत्र हीरया जाति जांगिड ब्राह्मण
11. मनोहर लाल पुत्र हीरालाल जाति जांगिड ब्राह्मण
12. बुद्धि देवी पत्नी स्व0 रामनिवास जाति जांगिड ब्राह्मण
13. अक्षय कुमार पुत्र स्व0 महेन्द्र जाति जांगिड ब्राह्मण निवासी ग्राम अहमदपुर तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज0।
14. उप–पंजीयक मालाखेड़ा जिला अलवर।

–असल अप्रार्थीगण

15. अली मौहम्मद पुत्र स्व0 समेसिंह जाति मेव
16. शहीदन पुत्री स्व0 समेसिंह जाति मेव
17. बस्सी पुत्री स्व0 समेसिंह जाति मेव
18. ऐमना पुत्री स्व0 समेसिंह जाति मेव
19. सुनेरबी पुत्री स्व0 समेसिंह जाति मेव निवासीयान ग्राम अहमदपुर तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज0
20. हमिद पुत्र सैमली जाति मेव हाल निवासी परसा का बास तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज0।

–तरतीबी अप्रार्थीगण

21. तहसीलदार भू0अ0 मालाखेड़ा जिला अलवर राज0

–तक0 अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र मुन्तकिल</u>

उपस्थितः–

01. श्री दलेर सिंह **–वकील प्रार्थी**

02. श्री रज्जन सिद्ध **–वकील अप्रार्थी नं0 1 लगा0 13**

<u>––:: निर्णय ::––</u>

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा के न्यायालय में विचाराधीन वाद उनवान मल्लू वगै0 बनाम अमरसिंह वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

जिला कलक्टर, अलवर

विद्वान वकील प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुंतकिल के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में वाद मल्लू वगै0 बनाम अमरसिंह वगै0 विचाराधीन है। असल अप्रार्थीगण का इलाके में काफी राजनैतिक प्रभाव है। जिसके कारण उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा भी प्रतिवादी के बेजा प्रभाव में है और वो छोटी–छोटी तारीख पेशी लगाते हुए उक्त प्रकरण में न्याय पूर्वक कार्यवाही नहीं कर रहे है। अप्रार्थीगण की ओर से प्रकरण में प्रा0पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 गलत तथ्यों पर पेश किया है। जिस प्रा0पत्र के लिए उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा छोटी–छोटी तारीख पेशी लगा रहे है एवं प्रार्थी को परेशान कर रहे है। अप्रार्थीगण की ओर से तारीख पेशी पर अमरसिंह व किशनलाल आते है जिनका उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा से सम्पर्क है। वो जब भी तारीख पेशी पर आते है तो उपखण्ड अधिकारी के चैम्बर में काफी समय तक बैठे रहते है और बाहर निकलकर कहते है कि प्रकरण को निर्णय हमारे हक में ही होगा। इसलिए उपखण्ड अधिकारी हम प्रार्थीगण को न्याय की कोई आशा नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रा0पत्र मुंतकिल स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल फरमाया जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 13 ने अपनी बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा पेश मुंतकिल प्रा0पत्र में अंकित तथ्य बेबुनियाद, झूठे एवं मनगढंत है। पीठासीन अधिकारी द्वारा विचाराधीन प्रकरण में नजदीक–नजदीक तारीख दी जाकर प्रदत्त नियमों के तहत विधिवत् सुनवाई की जा रही है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में प्रा0पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 पेश किया हुआ है। जिसमें बहस भी हो चुकी है। पत्रावली आदेश में नियत है। किन्तु प्रार्थीगण द्वारा बेजा तौर पर पत्रावली में देरी की नियत से प्रा0पत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थीगण का मुन्तकिल प्रा0पत्र खारिज फरमाया जावें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेड़ा द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दु बेबुनियाद, मनगंढत, झूठे एवं गलत है। प्रकरण में प्रा0पत्र ओदश 07 नियम 11 पेश किया हैं जो वर्तमान में आदेश में नियत है। मुन्तकिल पेश होने के कारण आदिनांक तक आदेश पारित नहीं किये जा सके है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी द्वारा पेश समस्त दस्तावेजात् का अवलोकन व मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र मुंतकिल के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति का शपथ–पत्र पेश नहीं किया है। प्रार्थना पत्र मुंतकिल करने के संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई ठोस साक्ष्य/सबूत भी पेश नहीं किये गये है। प्रार्थना–पत्र मुंतकिल खारिज योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई कर प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.09.2022 को अद्योहस्तारकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, अलवर
(राजस्थान)
जिला कलक्टर, अलवर